इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2010—पौष 10, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 1-465-2010-5-एक.—(1) श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे (1981), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन मछलीपालन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे द्वारा मछलीपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री सेवाराम, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल मछलीपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-797-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. जी. गिल्लौरे, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 28 दिसम्बर 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. जी. गिल्लौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पी. जी. गिल्लौरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. जी. गिल्लौरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-770-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 20 से 21 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकास स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आय.ए.एस., सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आय.ए.एस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-478-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनिल श्रीवास्तव, आय.ए.एस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, पुनर्वास आयुक्त तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम को दिनांक 16 से 31 दिसम्बर 2010 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अनिल श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्रीमती सीमा शर्मा, आय.ए.एस., नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त तथा पदेन सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं पुनर्वास अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्री अनिल श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में कार्य देखेंगी.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, पुनर्वास आयुक्त तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाश काल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-299-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री सत्य प्रकाश, आय.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 2 से 24 दिसम्बर 2010 तक

उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश अवधि में दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 5 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

(2) श्री पी. के. दाश, आय.ए.एस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को अस्थायी रूप से, पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग घोषित किया जाता है तथा उन्हें श्री सत्य प्रकाश की उक्त अवकाश अवधि में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-842-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 19 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा की अवकाश की अवधि में श्री सत्येन्द्र सिंह, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सत्येन्द्र सिंह, कलेक्टर, जिला दमोह के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-631-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय दुबे, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2010 तक छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-652-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. डी. अग्रवाल, आय.ए.एस., कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. डी. अग्रवाल द्वारा कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, कमिश्नर चम्बल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-743-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आय.ए.एस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया गया था. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 तथा 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है. अत: अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश और जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई. 5-290-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. राय, आय.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. राय की अवकाश अवधि में श्रीमती आभा अस्थाना, आय.ए.एस., वि.क.अ.-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. राय द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती आभा अस्थाना, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आय.ए.एस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छ: दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आय.ए.एस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 24 से 30 दिसम्बर 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-42-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री प्रशांत मेहता, आय.ए.एस., महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2010 तक 6 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त

अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-564-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आय.ए.एस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को दिनांक 18 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2010 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. एफ-3-6-2010-एक-4.—राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011 के लिये घोषित किये गये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में मनाये जाने वाले अवकाशों की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2010 (क्र. 588) को असाधारण राजपत्र में जारी की जा चुकी है, जो वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है.

आर. के. गजभिये, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. ई-1-470-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. लवनीन कक्कड़ (1979), विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, म.प्र., नई दिल्ली.	आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री अनिल कुमार जैन (1986), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3.	श्री एस. एस. कुमरे (2000), कलेक्टर, उमरिया	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	-
4.	श्री एन. एस. भटनागर (2001), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग.	कलेक्टर, उमरिया	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-ए-5-12-2010-एक (1).— राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री जे. के. माहेश्वरी साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	25 अक्टूबर 2010 एवं 26 अक्टूबर 2010	2 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-03-18-2010-दो-ए(3) **शुद्धिपत्र.**—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधन किया जाता है:—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ-03-18-2010-दो ए(3) के तृतीय प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया में भोपाल संभाग से निम्नस्तर से उत्तीर्ण श्री मोतीलाल अहिरवार, ''राजस्व निरीक्षक'' के स्थान पर पदनाम में संशोधन कर ''नायब तहसीलदार'' पढ़ा जाए.

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ-03-14-2010-दो ए(3) के द्वितीय प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) में भोपाल संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण श्री मोतीलाल अहिरवार, ''राजस्व निरीक्षक'' के स्थान पर पदनाम में संशोधन कर ''नायब तहसीलदार'' पढ़ा जाए.

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ-03-30-2010-दो ए(3) के प्रथम प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) में भोपाल संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण श्री मोतीलाल अहिरवार, ''राजस्व निरीक्षक'' के स्थान पर पदनाम में संशोधन कर ''नायब तहसीलदार'' पढ़ा जाए.

क्र. एफ-03-06-2010-दो-ए(3) **शुद्धिपत्र.**—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अप्रैल 2010 के तहत सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न-पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) में इन्दौर संभाग से सम्मिलित श्री भागीरथ बाखला, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर श्री भागीरथ बाखला, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-10-63-2001-सत्रह-मेडि-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) एक्ट, 1994 की धारा 17(5) के तहत दिनांक 7 जनवरी 2005 द्वारा गठित राज्य सलाहकार समिति के आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पदस्थी कार्यस्थल के पद नाम से मनोनीति करते हुए निम्नानुसार पुनर्गठन करता है:—

स.क्र.	अधिकारी का पदनाम एवं पदस्थी कार्यस्थल का नाम	समिति में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, भोपाल	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, प्रसूती एवं स्त्री रोग, विभाग मेडिकल कालेज, सुल्तानिया अस्पताल, भोपाल.	विशेषज्ञ
3.	विभागाध्यक्ष, शिशुरोग विभाग मेडिकल कालेज, भोपाल.	विशेषज्ञ
4.	विभागाध्यक्ष, पैथोलाजी विभाग मेडिकल कालेज, भोपाल.	विशेषज्ञ
5.	अतिरिक्त सचिव, विधि विभाग, भोपाल	विधि विशेषज्ञ
6.	उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, भोपाल	जनसंपर्क अधिकारी
7.	अध्यक्ष, सेवाभारती, भोपाल	सामाजिक कार्यकर्ता
8.	अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन भोपाल, मध्यप्रदेश.	सामाजिक कार्यकर्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला मार्टिन, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 1(ए) 27-94-ब-2-दो.—श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) 15, 16 एवं 23 जनवरी 2011 का विज्ञप्त अवकाश निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

क्र. एफ 1(ए) 165-94-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद को लंदन में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) 15, 16 एवं 23 जनवरी 2011 का विज्ञप्त अवकाश निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए) 166-94-ब-2-दो.—श्री आर. एस. मीणा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज, छतरपुर को लंदन में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) 15, 16 एवं 23 जनवरी 2011 का विज्ञप्त अवकाश निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री आर. एस. मीणा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 1(ए) 18-93-ब-2-दो.—श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को लंदन में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 15, 16 एवं 23 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए) 308-79-ब-2-दो.—श्री रमेश शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री रमेश शर्मा, की अवकाश अवधि में श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कार्य के साथ-साथ अति. पुलिस महानिदेशक (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रमेश शर्मा, भापुसे द्वारा अति. पुलिस महानिदेशक (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल, अति. पुलिस महानिदेशक (यो/प्र) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 1(ए) 268-86-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2010 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17,18,19 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 (विस्तार वर्ष 2010) में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत ''तिरुपति आन्ध्रप्रदेश'' परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री राजेन्द्र कुमार	- स्वयं
2.	डॉ. सुचि श्रीवास्तव	- पत्नि
3.	कु. सुकृति श्रीवास्तव	- पुत्री
4.	श्रेयस श्रीवास्तव	- पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण)पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा अवकाश से वापिसी पर अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपरोक्त कण्डिका-3 में उक्त कार्य हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त अतिरिक्त कार्य से स्वयमेव कार्यमुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 1(ए) 47-2003-ब-2-दो.—श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2010 द्वारा स्वीकृत दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा वर्तमान खण्ड वर्ष 2010-13 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत रामेश्वर ''कन्याकुमारी'' परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री आर. पी. बिसौने	- स्वयं
2.	श्रीमती सुषमा बिसौने	- पत्नि
3.	कु. साजुल बिसौने	- पुत्री
4.	मास्टर सौरभ बिसौने	- पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बिसौने को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाश काल में श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए) 112-86-ब-2-दो.—श्री सुखराज सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (विसबल) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18, 19, 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के (विस्तार वर्ष 2010) में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत "अण्डमान निकोबार" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री सुखराज सिंह	- स्वयं
2.	श्रीमती अमृत सिंह	- पत्नि
3.	कु. सिमरन सिंह	- पुत्री
4.	कु. अमन सिंह	- पुत्री
5.	मा. सर्वसुख सिंह	- पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री सुखराज सिंह को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री सुखराज सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (विसबल) पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य श्री विजय यादव भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (विसबल) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री सुखराज सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (विसबल) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री सुखराज सिंह द्वारा अवकाश से वापसी पर अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपरोक्त कण्डिका-3 में उक्त कार्य हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त अतिरिक्त कार्य से स्वमेव कार्यमुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री सुखराजसिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखराज सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. जैन, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 5-1-2002-बत्तीस-**संशोधित अधिसूचना.**—पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 5-117-बत्तीस-90, दिनांक 29 अप्रैल, 1999 में उल्लेखित इकाइयों की श्रेणी को उनके नाम के समक्ष दी जाने वाली पुरस्कार राशि में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नानुसार पुरस्कार राशि निर्धारित की जाती है:—

क्रमांक	इकाइयों का विवरण	वृद्धि की पुरस्कार की राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	1,50,000.00
2.	सामान्य उद्योग	1,00,000.00
3.	उत्खननरत खदानें	1,00,000.00
4.	लघु उद्योग	1,00,000.00

No. F.-5-1-2002-XXXII-**Amended Notification.**—Award amount to the industrial units performing excellent work in the field of environment and pollution control as notified in the Madhya Pradesh Gazette No. F-5-117-XXXII-90 dated 29th April 1999 is amended and enhanced as per the following description:—

S. No.	Description of Units	Enhanced award amount
(1)	(2)	(3)
1.	Highly folluting industry	1,50,000.00
2.	General Industry	1,00,000.00

3.	Mines Connected with Excavation of Minerals.	1,00,000.00
4.	Small industry	1,00,000.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 3(बी) 4-2010-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री इन्दर सिंह मालवीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 शहडोल के परिवीक्षा काल के दौरान उनके आचरण एवं प्रदर्शन पर विचार कर उनके कार्य को असंतोषजनक निर्धारित करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है.

और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (सी) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की गई है कि श्री इन्दर सिंह मालवीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (परिवीक्षाधीन) शहडोल की सेवाएं समाप्त की जाएं.

अत: राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए एतद्द्वारा श्री इन्दर सिंह मालवीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (परिवीक्षाधीन) शहडोल की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(सी) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1960 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत सेवाएं समाप्त करता है.

यह आदेश श्री इन्दर सिंह मालवीय पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जाएगा.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-एक/10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब(एक) 10, दिनांक 23 नवम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सरणी में,—

(एक) अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक 3 तथा 56 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमश: स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनु क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	श्री संजयपाल सिंह बुंदेला	कोतमा	अनूपपुर	1. कोतमा 2. अनूपपुर	1. कोतमा 2. अनूपपुर
56.	श्री रामजी गुप्ता	सागर	सागर	सागर	सागर.".

टिप्पणी :—जहां किसी सिविल जिले, में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B(1)10,—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's notification F. No. 17(E)43-2009-3835-XXI-B(1)-10, dated 23rd November, 2010 Namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table,—

(i) serial number 2 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for serial number 3 and 56 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Shri Sanjaypal Sing Bundela	Kotma	Anuppur	1. Kotma 2. Anuppur	1. Kotma 2. Anuppur
56.	Shri Ramji Gupta	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar.".

Note :—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. स्था.नि.शा.-2010.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत जिला खण्डवा की कृषि उपज मंडी समिति-74 खंडवा के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:—

क्रमांक	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)
(1)	श्री प्रेमलाल पटेल, सैय्यद, खैगावड़ा (विधायक प्रतिनिधि-विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-178- पंधाना) मंडी-खंडवा.	धारा-11 (1) (घ)

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 844-ARTO-2009.—मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत जारी परमिट में संचालित टूरिस्ट वाहन, संविदा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सवारियों का परिवहन कर सकते हैं. ऐसी वाहनें जो नागपुर से जबलपुर एवं अन्य स्थानों के लिए संविदा के आधार पर संचालित है. केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम, 85 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे वाहन प्रक्रम वाहन के रूप में नहीं चल सकते हैं.

उपरोक्त नियमों के अधीन ऐसे सभी वाहनों द्वारा सिवनी शहर से सवारी नहीं ली जा सकती हैं. ऐसे वाहनों के सिवनी शहर में प्रवेश करने से यातायात में अव्यवस्था, व्यवसायिक प्रतियोगिता के कारण असुविधा होती है, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा/सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं है एवं इसके अतिरिक्त ऐसे भारी माल वाहन जिनके द्वारा सिवनी नगर से न माल लिया जाना है न ही उतारा जाना है, ऐसे भारी मांल वाहनों का सिवनी शहर में प्रवेश सार्वजनिक सुरक्षा/ सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियत, 215 की प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपरोक्त टूरिस्ट बस परमिट में संचालित संविदा वाहन बसों एवं ऐसे भारी माल वाहन जिनके द्वारा सिवनी नगर से न माल लिया जाना है, न ही उतारा जाना है, का सिवनी शहर में प्रवेश अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि संविदा वाहन बसें एवं उपरोक्त वर्णित भारी माल वाहन बायपास से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रभावशील होगा.

मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 6522-मण्डी निर्वा.-2010-11.—मण्डी समिति का निर्वाचन 2005 मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत 193 कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी के सदस्य के रूप में दिये गये निर्दिष्ट को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का कं. व नाम	मण्डी अधि. 1972 के अन्तर्गत	नामनिर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अधिकारी का नाम	नाम निर्दिष्ट का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	193 कटनी	धारा 11 (5) के अन्तर्गत	श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, संसद सदस्य लोक सभा 08 खजुराहो मध्यप्रदेश.	श्री चेतन हिन्दुजा	आजाद चौक कटनी

एम. सेलवेन्द्रम, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन

क्रमांक-2003-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 41-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्त्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 14 दिसम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम शिवरामपुरा प. ह.नं. 35, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 28 कुल क्षेत्रफल 5.174 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम शिवरामपुरा

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शमशेर, उमराव, शेरखां, सेतुलबाई, हाजराबाई पिता गुलाब, हूसैनखां, कलंदरखां, सिकदरखां, मीराबी, भूरीबी, कमलाबी पिता इमाम पिंजारा निवासी अमलाथा.	3	0.008	—
2	हूसैनखां, कलंदरखां, सिंकदरखां, मीराबाई, भूरीबाई, कमलाबाई पिता इमामखां पिंजारा निवासी अमलाथा.	4	2.009	नीम-2, बबूल-2
3	उम्मीद खां, सुभान खां, खुदाबक्स खां पिता गुलशेर खां, सुशीलाबाई बेवा गुलशेर खां, ममताबाई, मायाबाई, कविताबाई पिता गुलशेर खां, पिंजारा सा. अमलाथा.	5/2	0.300	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	मनोहर पिता शिवगीर बाबाजी निवासी अमलाथा	24/1ग	1.254	खसरा नं. 24/1 ख के कुएं से पियत, नीम-3, बबूल-2.
5	गप्पु सिंह, शेरसिंह, अनारसिंह पिता बहादरसिंह, हरेसिंह, उम्मेदसिंह पिता घुसाई, रतनसिंह पिता साहेबसिंह, किशोरसिंह, केसरेसिंह पिता भीलूसिंह, मानसिंह, दुलेसिंह पिता बापुसिंह राजपूत सा. अमलाथा.	28	0.040	बड़-1, पिपल-1
6	नरसिंह पिता मेहकाल जाति भारूड सा. अमलाथा	36	0.065	नीम-1, इमली-1
7	गोपाल पिता गणपत जाति तेली निवासी अमलाथा	37	0.040	नीम-1. इमली-2
8	गोपाल पिता गणपत जाति तेली निवासी अमलाथा	40	0.008	-
9	गुलशेर खां पिता रमजान खां, शमशेर खां पिता गुलजार खां छोटू खां, हबीब, बाबू पिता फाजल मोनाबाई बेवा फाजल, फिरोज पिता करामत पिंजारा निवासी अमलाथा.	41	0.020	-
10	गुलशेर खां पिता रमजान खां शमशेर खां पिता गुलजार खां छोटू खां, हबीब, बाबू पिता फाजल मोनाबाई बेवा फाजल, फिरोज पिता करामत पिंजारा निवासी अमलाथा.	42	0.016	-
11	सौदानसिंह पिता शौभागसिंह, भारतसिंह, जितेन्द्रसिंह, तारूबाई, उमाबाई, बसंतीबाई पिता धनसिंह, देवकुंवरबाई बेवा धनसिंह राजपूत सा. अमलाथा.	46	0.016	-
12	भंवरसिंह, रामसिंह पिता शौभागसिंह, विद्याबाई बेवा केसरेसिंह, देवेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, संगीता पिता केसरेसिंह राजपूत नि. अमलाथा.	47	0.028	इमली-1, सिरस-1
13	गप्पुसिंह, शेरसिंह, अनारसिंह पिता बहादरसिंह, हरेसिंह, उम्मेदसिंह पिता घुसाई, रतनसिंह पिता साहेबसिंह किशोरसिंह, केसरेसिंह पिता भीलूसिंह, मानसिंह, दुलेसिंह पिता बापुसिंह राजपूत सा. अमलाथा.	49	0.061	सिरस-1
14	भिकाजी, बापूसिंह, दौला, नथी, गेंदा, काशी पिता रतनसिंह, दातारसिंह पिता बहादरसिंह, उमरावसिंह, जशोदा पिता नवलसिंह राजपूत सा. अमलाथा.	50	0.040	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	गुलशेर खां पिता रमजान खां शमशेर खां पिता गुलजार खां, छोटूखां, हबीब, बाबू पिता फाजल मोनाबाई बेवा फाजल, फिरोज पिता करामत पिंजारा निवासी अमलाथा.	51	0.016	–
16	मानसिंह पिता जशवत सिंह राजपूत निवासी अमलाथा	54	0.008	–
17	नबीखां, एडू पिता नूरा, छोटू नत्थू पिता सुलेमान पिंजारा निवासी अमलाथा.	56	0.024	–
18	श्री राम पिता किशन भारूड़ निवासी अमलाथा	58	0.109	कुऊ-1, आम-1, इमली-4, नीम-2, अरिठा-1.
19	दत्तात्रय, आनंदराम पिता विष्णु ब्राम्हण नि. खरगोन	59	0.032	नीम-1,कऊ-1
20	ओंकारलाल, छोगालाल, तोताराम पिता बाबू, भागवती बाई, दुर्गाबाई पिता बाबू, मायाबाई बेवा बाबू, सुतार निवासी अमलाथा.	60	0.032	बबूल-2
21	रूखडु पिता बोंदर, टन्टू, नन्दू पिता भोलू भारूड़ निवासी अमलाथा.	64	0.016	–
22	चंपालाल, लाड़कीबाई पिता कल्याण, नाग्या पिता घिस्या, रामकुंवर पति दुबल्या भारूड़ निवासी नहारखेड़ी	65	0.024	–
23	नबी पति गुलजार, गुलशन पति यासिन, कालेखां, गोलूखां, सुलेमान, मुन्सी पिता लालखां, मकसुन, कल्लू, शकीला पिता लालखां पिंजारा निवासी अमलाथा.	67	0.025	–
24	गुलशेर खां पिता रमजान खां शमशेर खां पिता गुलजार खां छोटूखां, हबीब, बाबू पिता फाजल मोनाबाई बेवा फाजल, फिरोज पिता करामत पिंजारा निवासी अमलाथा.	68	0.032	–
25	नबी पति गुलजार, गुलशन पति यासिन, कालेखां, गोलूखां, सुलेमान, मुन्सी पिता लालखां, मकसुन, कल्लू, शकीला पिता लालखां पिंजारा निवासी अमलाथा.	69	0.020	–
26	श्रीराम पिता किशन भारूड़ निवासी अमलाथा	73/5	0.486	पाईपलाईन से पियत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	नवल, सबल, फुन्दाबाई पिता भाग्या, ग्यारसीबाई, बेवा बाबू, महेश पिता बाबू, भारूड नि. ससाबरड़.	77	0.364	-
28	बद्रीलाल पिता जगन्नाथ कलाल नि. पिपलगोन	101/1	0.081	नदी से पियत
		28	5.174	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेंगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम शिवरामपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम शिवरामपुरा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 5.174 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **मथुरालाल मण्डलोई**
पता : 219 पुष्प कुंज बजरंग
नगर जेतापुर (खरगोन)

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : 15, टवडी मोहल्ला
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन) नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

करार (एग्रीमेंट)

(अन्तर्गत धारा 41 भू-अर्जन अधिनियम, 1894)

नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी,
द्वारा श्री आर. के. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि,
इमलिया (पतलोन) तह. गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
द्वारा कलेक्टर, जिला, नरसिंहपुर

द्वितीय पक्ष

क्रमांक-20438-भू-अर्जन-10.—बी. एल. ए. पावर, प्रा. लि. निवारी जो 140 मेगावॉट थर्मल पॉवर प्लांट ग्राम निवारी एवं पौड़ी तह. गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर में स्थापित कर रही है एवं जिसकी स्थापना से राज्य में विद्युत् संकट कम होगा व म. प्र. शासन एनर्जी डिपार्टमेंट के बीच 140 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन व कंपनी के मध्य दिनांक 10 अगस्त 2007 को एम.ओ.यू. पर हस्तांतरित किया गया.

मध्यप्रदेश शासन एनर्जी डिपार्टमेंट मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. नं. 8256-13-2007, भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2007 के द्वारा मेसर्स बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी 140 मेगावाट थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी. एवं 120 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश शासन भोपाल के पत्रांक 8256-13-2007, भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2007 एवं 7 Million Cu. Mtrs Per annum अति. सचिव मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्रांक सीबी/31/2006/रा.स्त.-92/565, भोपाल, दिनांक 20 जून 2007 के द्वारा स्वीकृति दी गयी. बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी, 140 मेगावाट पावर स्टेशन की स्थापना के लिये जिला नरसिंहपुर के तहसील गाडरवारा के ग्राम निवारी की 6.491 हे. एवं ग्राम पौड़ी की 12.635 हे. कुल 19.126 हे. निजी भूमि अर्जित किये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर नरसिंहपुर ने आयुक्त जबलपुर के माध्यम से प्रेषित किया. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-5-08-सात 12 ए भोपाल, दिनांक 10-9-2008 के द्वारा भूमि अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है. निजी भूमि निवारी की 6.491 हे. ग्रा. पौड़ी की 12.635 हे. कुल 19.126 हे. एवं ग्राम डेंडूखेड़ा की 1.193 हे. शासकीय भूमि शासन के राजस्व विभाग के प्रोसेस में है. कलेक्टर, कार्यालय नरसिंहपुर क्रमांक 380-भू-अर्जन-08, नरसिंहपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2008 के परिपालन में बी.एल.ए. पावर प्रा.लि. निवारी के द्वारा दिनांक 25-11-2008 को रूप्या 68,44,220/- राशि जमा कर दी गई है.

तदुपरांत कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर द्वारा धारा 40 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जांच एवं सम्पूर्ण संतुष्टि उपरांत कम्पनी के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत प्रथम द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों पर आज दिनांक 24 दिसम्बर 2010 को यह करारनामा निष्पादित करते हैं:—

1. कंपनी राज्यपाल को या राज्यपाल के द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे व्यक्ति को समस्त ऐसी राशियों का भुगतान करेगी जो राज्यपाल को उक्त भूमि के अर्जन करने में प्रतिकर के मुद्दे या भूमि अर्जन के आनुषंगिक अन्य प्रभारों के मुद्दे व्यय करनी पड़ सकती है. इस खंड के अधीन ऐसे धनों का भुगतान जो कंपनी द्वारा देय होंगे कलेक्टर द्वारा लिखित में मांग की जाने पर कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कंपनी भूमि अर्जन के पूर्ण व्यय या उपरोक्त यथा निर्दिष्ट उसके मांग पर भुगतान राज्यपाल को करने में असफल रहती है तब राज्यपाल को उक्त व्यय की वसूली कंपनी से भू-राजस्व की बकाया की भांति करने का हक होगा.

2. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

3. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

4. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य इस करार दिनांक से कब्जा मिलने के उपरांत शीघ्र ही कम्पनी द्वारा प्रारंभ किया जावेगा.

5. कंपनी इस आश्य की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार देगी.

6. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44 ए).

7. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

8. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण कार्य के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौंड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

9. शासन को पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जाएगा.

10. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा. एवं प्रदूषण संबंधित प्रदूषण विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है.

11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था से जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

12. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

13. यह कि शासन ऐसी जांच के बाद जैसी कि वह उपयुक्त समझे इस बात से संतुष्ट है कि कंपनी उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से आवास गृह या सुविधाएं या कोई भवन या कार्य करारनामा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर निर्माण करने, उपलब्ध करने या निष्पादित करने से वंचित रही है तब शासन यदि वह चाहे तो एक वर्ष से अनाधिक होने वाले कालावधि के लिये एक बार में उस प्रयोजन के लिये समय बढ़ा सकता है, फिर भी विस्तार की कुल कलावधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

14. यह कि कंपनी इकरारनामा में उपबंधित शर्तों से किसी शर्त का उल्लंघन करती है तब शासन यह निर्देशित करते हुये कि धारा 41 के खण्ड (1) के अन्तर्गत अर्जन के रूप में कंपनी के द्वारा शासन को दी गई राशि का एक चौथाई से अधिक न होने वाली राशि क्षति के रूप में शासन को सम्प्रहत (राजसात) हो जावेगी और बची राशि कंपनी को वापिस कर दी जायेगी, शासन ऐसा आदेश पारित कर सकता है और यह पारित आदेश अंतिम और बंधनकारी होगा.

15. यह कि जिस प्रयोजन के लिये जमीन की आवश्यकता थी उस प्रयोजन के लिये कंपनी ने यदि केवल जमीन का एक भाग उपयोग किया है शासन इस बात से संतुष्ट है कि उसका उपयोग न किया गया भाग वापिस ले लिया जाता है तब भी कंपनी उसके द्वारा उपभोग जारी रख सकती है तब शासन जमीन उपयोग न किये गये भाग के संबंध में राशि शासन को समाहित हो जावेगी और उस भाग के बचत राशि कंपनी को वापिस कर दी जायेगी, शासन ऐसा आदेश पारित करेगा किया गया आदेश कंडिका (23) के उपबंधों के अधीन रहते हुये अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें मान्य होंगी.

19. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करने के पूर्व . . . . . प्रतिशत राशि जिसमें कुछ राशि पूर्व में जमा करा दी गई है बाकी राशि भू-अर्जन कार्यालय नरसिंहपुर में जमा करा दी जायेगी और भू-अर्जन कार्यवाही की अंतिम चरण के पूर्व (अवार्ड पारित करने के पूर्व) शेष संपूर्ण राशि जमा कराई जावेगी.

20. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत शासन की आदर्श पुनर्वास संबंधी प्रचलित नीति का तथा समय-समय पर जारी नीतियों का अनुश्रवण किया जावेगा.

21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जावेगा.

22. यह कि जिस जमीन के उपयोग किये गये भाग से संबंधित राशि के संबंध में कोई विवाद हो तो ऐसा विवाद न्यायालय को उल्लेखित किया जावेगा जिसके क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत जमीन या इसका कोई भाग स्थित हो और उस पर उस न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा. इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर ऊपर लिखी तारीख को राज्यपाल की ओर से श्री विवेक पोरवाल (आई.ए.एस.) कलेक्टर नरसिंहपुर ने तथा कंपनी की ओर से श्री आर. के. शर्मा स्थानीय प्रतिनिधी के हस्ताक्षर किये हैं.

बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी
की ओर से तथा उनके लिये

हस्ता./-

नाम—**श्री आर. के. शर्मा**
स्थानीय प्रतिनिधि
बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की
की ओर से तथा उनके लिये

हस्ता./-

नाम—**विवेक पोरवाल**
उपाधि—कलेक्टर नरसिंहपुर

स्थान—नरसिंहपुर

दिनांक . . . . . .

दिनांक . . . . . .

साक्षी:

1. **हस्ता./-**
नाम एवं पता—**डी.बी.मदान,**
डाइरेक्टर प्रोजक्ट,
बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी, नरसिंहपुर.

2. **हस्ता./-**
नाम एवं पता—**श्री के. सी. महेश्वरी,**
बी.एल.ए. पावर प्रा. लि. निवारी

साक्षी:

1. **हस्ता./-**
नाम एवं पता—**जी. एस. बावरिया**
डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर

2. **हस्ता./-**
नाम एवं पता—**सी. पी. सिंह,** पटवारी भू-अर्जन.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 17 जनवरी, 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र	प्रश्नपत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)
	सोमवार, दिनांक 17 जनवरी 2011	
1.	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	—''—
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—''—
4.	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	—''—
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
59.	विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—''—
	मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी 2011	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.	—''—

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—''—
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—''—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—''—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—''—
	बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''.	—''—
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	—''—

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
27.	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	—''—
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	—''—

गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2011

33.	प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	—''—
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—

शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—''—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—''—

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित)	—''—

शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2011

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.

नोट:—(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जनवरी 2011 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया ज़ाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन, अवर सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्र. क्यू-भू-सम्पा-23-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	गोंधारी	448	0.167	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला-शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आब नहर के 15 आर शाखा का निर्माण कार्य
			451	0.015		
			457	0.418		
			योग . .	0.600		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्र. क्यू-भू-सम्पा-22-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बासोंड़ी	1064	0.273	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला-शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आब नहर के 15 आर शाखा का निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

क्र. क्यू-भू-सम्पा-21-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	गोहिंदा	593 मिन	0.146	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला-शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आब नहर के 13 आर शाखा एवं 2 आर शाखा का निर्माण कार्य
			609/2	0.104		
			619/7	0.230		
			योग :	0.480		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 9-अ-82-2010-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में				
			ख. क्र.	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	अमोदा	230/2	3.83	0.82	कार्यपालन अधिकारी जल संसाधन संभाग, रायसेन.	अमोदा जलाशय की नहर हेतु.
			230/1/2	2.33	0.27		
		वीलखेड़ी	238/1/2	2.19	0.25		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		बीलखेड़ी	238/2	13.11	0.95		
			237/1	10.33	1.08		
			237/2	10.34	0.12		
			234	11.66	0.50		
			235	8.15	0.41		
			233	11.65	0.02		
			229/1	2.48	0.21		
			229/2	2.47	0.26		
			230	9.01	0.30		
			224	8.80	0.55		
			210	4.97	0.27		
			212	8.60	0.11		
			211	6.05	0.76		
			206/2	2.18	0.28		
			206/3	2.19	0.20		
		अमोदा	338/2	2.68	0.17		
			339/1/1	1.88	0.20		
			339/1/2	2.12	0.20		
			339/2	1.90	0.10		
			339/3	1.00	0.02		
			340	1.00	0.10		
			341	1.00	0.22		
			345/1	1.24	0.06		
			348/1/2	1.25	0.04		
			248/2	1.59	0.04		
			योग .	.133.81	8.51		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11-भु.अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	दिवरीकला प. ह. नं. 46/13 न. बं. 329/331.	0.07	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा	मझौली शाखा नहर की मझौली टेल वितरक के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी ईकाई क्र. 2 रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 4-अ-82-2010-11-भु.अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	मनसकरा प. ह. नं.46/16 न.बं. 604.	कुआं एवं बोरबेल (0.24 हेक्टे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा	कुसमी वितरक नहर की महगंवा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी ईकाई क्र. 2 रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11-भु.अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	बिलगंवा प.ह. नं. 6 नं.बं. 333	कुआं बोर (0.02 हेक्टे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 पनागर.	मदना वितरण शाखा 2 की उप शाखा क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी ईकाई क्र. 2 रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 9/13 दिसम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-698.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नं. (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हेक्टर में शासकीय	निजी	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	डोंगरगांव	-	17.39	17.39	परियोजना प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन	डोंगरगांव चेक पोस्ट निर्माण हेतु.
		योग :		17.39	17.39		

उपरोक्त अनुसूची कॉलम नं. (8) में वर्णित प्रयोजन हेतु अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (6)में उल्लेखित भूमि का अर्जन हेतु भू-अर्जन 1984 की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 के पेज नं. 3193 पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 13-अ-19-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरदुआ	निजी 0.59	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर.	पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु तुल्ला तरफ 0.37 हे. एवं गजंद तरफ 0.22 हे. निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकरी शाहनगर जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-19-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रैपुरा	निजी 0.160	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.	पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रैपुरा तरफ 0.160 हे. भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 722-भू-अर्जन-08 .—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	खरमसेड़ा	अमरपाटन	19.789	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.	मौहास तालाब योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. 1449-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गुढ़वा ज.न. 134	0.048	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत गुढ़वा माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1451-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	करारी ज.न. 52	0.247	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1453-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	जुरौट ज.न. 181	0.024	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत जुरौट माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. 16163-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	टाण्डी खुर्द	19.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ (ब्यावरा), म.प्र.	टाण्डी तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	नौगांव	17.835		
राजगढ़	राजगढ़	लहरची	2.655		
		योग	: 39.640		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 2606-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	निगरी	1.259	भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	1320 (660×2) मेगावाट सुपर थर्मल पॉवर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) खसरा भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-10-11-20548-नस्ती क्र. 320-10-एल.ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	इनपुन	4.881	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इन्दौर.	बड़वाह-सनावद बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-10-11-20549-नस्ती क्र. 320-2010-एल.ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोरघड़ी	1.35	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इन्दौर.	बड़वाह-सनावद बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010, 16 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 9-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन (अधिनियम 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) नगर/ग्राम—नीनोर
(घ) क्षेत्रफल 0.344 हेक्टर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
140,141,142,143,144	0.162
760/142	0.020
773/144	0.162
योग . .	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बायां जहाजपुरा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र.-भूमि संपादन-2010 प्र. क्र. 1-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—महिदपुर
(ग) नगर/ग्राम—1. टाण्डा
2. चौरवासा
(घ) लगभग कुल रकबा—2.01+0.18=2.19 हैक्टर.

ग्राम—टाण्डा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.88
89	0.60
91	0.53
योग . .	2.01

ग्राम—चौरवासा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
195	0.09
203/5	0.09
योग . .	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—टाण्डा जलाशय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—भिडारीकला, प.ह.नं. 4, नं. ब. 352
(घ) लगभग क्षेत्रफल ट्यूबबेल (0.30 हेक्टे. में निर्मित)

खसरा नम्बर	अर्जित संपत्ति (हेक्टर में)
(1)	(2)
266	ट्यूबबेल 1 नं. (0.30 हे. में निर्मित)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उप शाखा M_3, L_1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सुनाचर प.ह.नं. 44 नं. बं. 432
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.18 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित संपत्ति रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
174/1	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेलखेडी टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—देवरी कला प.ह.नं. 46 नं. बं. 329/331
(घ) लगभग क्षेत्रफल (0.10 हेक्टे. में निर्मित कुआं एवं बोर).

खसरा नम्बर	अर्जित संपत्ति (हेक्टर में)
(1)	(2)
98	कुआं एवं बोर (0.10 हेक्टे. में निर्मित)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—देवरीकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—जुनवानी कला प.ह.नं. 76 नं. बं. 276
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.07 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित संपत्ति रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
285	0.04
768	0.02
223	0.01
योग . .	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जुनवानी कला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-721-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—गोरइया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.534 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
774/1	0.267
774/2	0.267
निजी खाता भूमि योग . .	0.534

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—रामपुर, रघुनाथपुर, गोरैया पहुंच मार्ग एवं टमस नदी पर पुल निर्माण बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (1भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-723-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—खरमसेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.789 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1626/2/2	2.0000
1626/2क	2.023
1626/2ख/क	0.959
1626/2ख/2	1.011
1626/2ग	2.023
1626/2घ/1	1.619
1626/2घ/2	0.405
1626/25/1	0.675
1626/25/2	0.674
1626/25/3	0.674
1626/2च	2.023
1626/2छ	2.023
1626/2अ	2.023
1626/2झ	1.619
निजी खाता भूमि योग किता रकवा .	19.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—मौहास तालाब योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-724-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—रघुनाथपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.61 एकड़.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)
275	0.11 ए.
278/2	0.11 ए.
289	0.14 ए.
278/1	0.25 ए.
निजी खाता भूमि योग किता रकबा . .	0.61 ए.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—रघुनाथपुर, गोरैया पहुंच मार्ग के किलोमीटर 22/2-4 में टमस नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-725-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम—अमझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.629 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
416/1क	0.404
416/2ख	0.809
416/2क	0.809
416/4ख	0.607
निजी खाता भूमि योग किता रकवा . .	2.629

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—अमझर तालाब योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 1416-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम—जमुना कोठार (पटरहाई सब माइनर)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.028 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	3
12, 13	0.30
14	0.24
15	0.016
16	0.08
18	0.32
39	0.08
40	0.016
41	0.20
53	0.30
54	0.11
55	0.02
56	0.12
58	0.02
110	0.01
111	0.18
112	0.14
113	0.12

(1)	(2)
116	0.16
127	0.12
128	0.16
148	0.300
149	0.016
महायोग . .	3.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय पर किया जा सकता है.

क्र. 1418-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—कोल्हड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.074 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
83	0.240	—
84	0.016	—
85	0.016	—
86	0.296	—
90	0.368	—
94	0.048	—
104	0.018	—
105	0.136	—
106	0.160	—
129	0.136	—
143	0.312	—
145	0.136	—
147	0.008	—
150	0.160	—
264	0.008	—
128	—	0.016
योग . .	2.058	0.016
महायोग . .	2.074	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1420-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—महुरछ-कंदैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.028 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
517	0.280	—
518	0.200	—
520	0.100	—
521	0.092	—
539	0.560	—
540	0.101	—
632	0.620	—
633	0.240	—
634	0.340	—
654	0.576	—
655	0.038	—
656	0.096	—
657	0.120	—
676	0.184	—
677	0.144	—
678	0.072	—

(1)		(2)
680	0.144	—
726	0.060	—
727	0.032	—
728	0.400	—
729	0.006	—
730	0.556	—
862	0.072	—
863	0.064	—
864	0.032	—
865	0.480	—
881	0.144	—
882	0.464	—
योग . .	7.028	निल
महायोग . .	7.028 हे.	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1422-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम—पटरहाई (पटरहाई माइनर)

(घ) क्षेत्रफल—4.622 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
68 एवं 69	0.064
77	0.096
81	0.09
82	0.0384
83	0.12
84	0.01
85	0.16
86	0.052
88	0.0608
94	0.16
95	0.144
96	0.06
98	0.20
99	0.0128
100	0.208
120	0.056
121	0.032
122	0.072
128	0.12
129	0.18
175	0.032
176	0.008
177	0.12
178	0.136
185	0.024
186	0.192
287	0.416
299	0.112
300	0.064
301	0.012
313	—
314	0.06
315	0.30
316	0.36
323	0.85
कुल शासकीय भूमि	0.85 हे.
महायोग . .	4.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1424-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—सगौनी
(घ) क्षेत्रफल—3.142 हे. निजी एवं 0.456 हे. शासकीय

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
10	0.236	—
12	0.036	—
13	0.036	—
17	0.060	—
18	0.040	—
19	0.080	—
27	0.067	—
28	0.175	—
30	0.228	—
66	0.228	—
69	0.136	—
134	0.260	—
135	0.010	—
136	0.008	—
142	0.116	—
151	0.036	—
153	0.010	—
154	0.180	—
184	0.207	—
185	0.048	—
188	0.100	—
189	0.060	—
190	0.189	—
243	0.160	—
9/313	0.180	—
142/314	0.256	—
117	—	0.036
243/1	—	0.420
योग .	.3.142 हे.	0.456 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1426-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—खारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —3.994 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
26	0.178	—
29	0.20	—
36	0.320	—
38	0.096	—
39	0.288	—
40	0.058	—
41	0.112	—
47	0.184	—
51	0.030	—
52	0.080	—
53	0.080	—
54	—	0.048
55	0.064	—
57	0.012	—
58	0.080	—
59	0.064	—
60	0.160	—
67	0.064	—
103	0.048	—
107	0.020	—
109	0.016	—
172	0.101	—
173	0.012	—
174	0.096	—
175	0.036	—
176	0.096	—
185	0.048	—

(1)	(2)	
186	0.096	—
187	0.096	—
192	0.110	—
194	0.016	—
199	0.019	—
527	—	0.040
528	0.06	—
529	0.06	—
532	0.020	—
533	0.480	—
534	0.032	—
535	0.144	—
योग . .	3.906	0.088
महायोग . .		3.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1428-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—बठिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग —6.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
3	0.036	—
114	0.150	—
115	0.036	—
116	0.156	—
132	0.180	—
133	0.036	—

(1)	(2)	
134	0.312	—
135	0.040	—
243	0.048	—
244	0.090	—
246	0.230	—
248	0.393	—
280	0.096	—
281	0.020	—
282	—	0.064
284	0.360	—
310	0.013	—
311	0.252	—
315	0.096	—
316	0.084	—
317	0.156	—
318	0.168	—
319	0.013	—
348	0.300	—
349	0.064	—
350	0.240	—
358	0.016	—
359	0.276	—
360	0.060	—
364	0.300	—
365	0.65	—
366	0.192	—
370	0.204	—
427	0.764	—
428	0.016	—
441	—	0.085
योग . .	6.221	0.149
महायोग . .	6.37	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1430-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—बम्हौरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —5.637 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
95	0.285	—
187	0.108	—
188	0.108	—
192	0.168	—
193	0.168	—
202	0.288	—
203	0.015	—
216	0.030	—
217	0.252	—
221	0.096	—
222	0.030	—
223	0.030	—
224	0.532	—
225	0.112	—
228	0.160	—
229	0.056	—
242	0.288	—
243	0.024	—
244	0.304	—
255	0.090	—
256	0.145	—
257	0.010	—
258	0.177	—
259	0.020	—
260	0.300	—
332	0.163	—
351	0.058	—
352	0.064	—
353	0.180	—
354	0.070	—
355	0.036	—
398	0.016	—
399	0.094	—
400	0.240	—
401	0.120	—
402	0.010	—
403	0.180	—
405	0.073	—
406	0.028	—
407	0.065	—
408	0.180	—
409	0.120	—
410	0.040	—
723	0.084	—
724	—	0.020
योग . .	5.617	0.020
महायोग . .	5.637	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र.-16156-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पाड़ल्याखेड़ी नहर निर्माण कार्य) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर के ग्राम लसूड़ली, चमारी बीजपड़ी एवं हीरापुरा.

(ग) क्षेत्रफल—10.050 हेक्टेयर.

ग्राम—लसूड़ली

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
360	0.200
357/1	0.230
356	0.030
355	0.030
354/2/1	0.020
354/2/2	0.020
354/2/3	0.060
369/4/2	0.060
221	0.050
225/1/1	0.100
225/1/2	0.100
225/2	0.200
231/2	0.100
231/1/2	0.075
213	0.140
212 में से	0.220
185	0.150
186/1/2	0.180
187/3	0.200
166/1	0.060
641/165	0.120
164/2	0.030
157	0.200
153	0.150
152	0.100
147/3	0.100
147/2	0.100
59 में से	0.030
31	0.100
30	0.100
29	0.030
623	0.030
25/3	0.030
24	0.200
23	0.030
21	0.160
20	0.100
19/3/2	0.070
19/2	0.150
19/3/1	0.070
19/1	0.030
75	0.260
10	0.100
77	0.200
342	0.240
227	0.180
योग . .	5.135

ग्राम—चमारी

62/1	0.170
62/2	0.070
70	0.050
71/2	0.090
72	0.060
121/2/1	0.080
59/3	0.080
84/2	0.175
85/1	0.200
85/2	0.070
91	0.200
93/3	0.050
93/4	0.030
90/1	0.120
101	0.300
136/3	0.170
119	0.090
120	0.120
121/2/2	0.090
121/2/3	0.100
114	0.270
योग . .	2.585

ग्राम—बीजपड़ी

12/2	0.100
12/5	0.100
13/5	0.060
15/1	0.150
15/2	0.100
14/3	0.100
18/3	0.200
14/2	0.100
18/1	0.100
18/2	0.200
योग . .	1.210

ग्राम—हीरापुरा

15	0.240
13/2	0.120

(1)	(2)
9/3	0.110
8	0.100
7	0.120
5/2	0.060
5/1	0.060
4	0.100
2	0.060
1	0.150
योग . .	1.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाड़ल्याखेड़ी नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-16168-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर ग्राम चीबड़कलॉ, ढाबलीकलॉ, दौलतपुरा एवं ढाबलीखुर्द.

(ग) क्षेत्रफल—3.789 हेक्टेयर.

ग्राम—चीबड़कलॉ (बायीं नहर)

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
565/1	0.036
568/1/1	0.096
568/1/2	0.190
569/1/2	0.201
568/1/3	0.061
569/3	0.101
570/31	0.125
योग . .	0.810

ग्राम—ढाबलीकलॉ (बायीं नहर)

(1)	(2)
492/1/1	0.065
492/1/2	0.040
492/2/1	0.081
492/2/2	0.075
516	0.125
535/1	0.110
536/4	0.110
538/1/1	0.145
538/1/2	0.048
538/1/3	0.085
538/1/4	0.086
538/1/5	0.065
536/2	0.156
536/3	0.024
538/15	0.235
538/16	0.245
535/2	0.085
योग . .	1.780

ग्राम—दौलतपुरा (बायीं नहर)

51	0.065
53/6	0.101
53/11/1	0.215
53/11/2	0.067
52/4	0.168
67/53	0.175
योग . .	0.791

ग्राम—ढाबलीखुर्द (दायीं नहर)

54	0.190
59	0.080
60/3	0.030
65	0.078
60/2	0.030
योग . .	0.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ढाबलीखुर्द तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-16170-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर

(ग) ग्राम—बरगोलिया, भेरवाखेड़ी, मल्हारपुरा, दूंदाहेड़ी कुलीखेड़ा, लक्ष्मणपुरा.

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—9.676 हेक्टेयर.

ग्राम—बरगोलिया

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
405/1/1/1	0.208
योग . .	0.208

ग्राम—भैरवाखेड़ी

27	0.144
26/1	0.030
30/2	0.110
36	0.019
146	0.024
133/1	0.200
133/2	0.100
137/2	0.072
137/4	0.072
138/1	0.028
381	0.012
151	0.013
153	0.038
192/1/9	0.056
192/1/8	0.048
192/1/10	0.040
192/1/11	0.044
384/2	0.074
385/2	0.056
385/1/2	0.016
192/1/7	0.052
192/1/6	0.012
132/1	0.040
422/8/2	0.400
35/3	0.256
29	0.264
योग . .	2.220

(1)	(2)
ग्राम—मल्हारपुरा	
63/7/11	0.076
63/7/22	0.068
63/7/24	0.105
63/7/21	0.024
63/7/19	0.165
63/7/5	0.144
63/7/3	0.024
63/7/4	0.136
63/7/1	0.065
61	0.110
योग . .	0.917
ग्राम—दुंदाहेड़ी	
619/5	0.023
552/2	0.043
562/1	0.160
562/2	0.040
562/3	0.040
558	0.012
559	0.016
619/1	0.007
561	0.085
563/1	0.070
566/1	0.075
568/1	0.112
547/1/2/4	0.100
547/2/2	0.102
619/38	0.150
योग . .	1.035
ग्राम—कुलीखेड़ा	
215/1	0.021
216	0.056
212	0.012
220	0.071
221	0.022
481/4	0.010
223	0.011
473/2/1	0.100
473/2/2	0.170
473/2/3	0.160
480/3	0.006
481/1/1	0.050
481/1/2	0.060

(1)	(2)
481/1/3	0.050
483/1	0.174
484/3	0.050
687/1	0.020
689/1	0.055
695	0.003
758/6	0.023
758/8	0.016
758/17	0.011
480/4	0.060
480/5	0.060
481/6	0.190
475/1/3	0.070
481/7	0.024
485/2	0.050
129/34	0.090
129/54	0.190
129/61	0.050
129/38	0.400
388	0.112
199/43	0.280
199/25	0.380
690/1/3	0.130
987/7/3	0.090
692/24	0.170
758/12	0.328
119/3/1	0.400
योग . .	4.225

ग्राम—लक्ष्मणपुरा

117/2	0.160
78/5	0.344
70/7	0.010
71/1	0.235
71/2	0.093
77/1	0.012
316	0.021
321	0.096
330/1	0.080
330/2	0.020
योग . .	1.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगोलिया तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र.-16369-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—नापानेरा, नेवज, नेवली, राजपुरा, लालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—09.581 हेक्टेयर.

ग्राम—नापानेरा

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
43	0.076
35	0.032
37	0.064
38	0.100
33	0.032
30	0.288
48/1/1	0.096
योग . .	0.688

ग्राम—नेवज

291/12/1	0.064
291/12/2	0.064
262	0.048
261	0.141
259	0.038
260	0.029
258	0.045
232/1/1	0.142
232/1/2	0.101
231	0.096
219/2/4	0.032

(1)	(2)
219/2/2	0.032
219/2/3	0.032
217	0.090
209	0.077
208/1	0.006
207	0.012
203	0.128
204/1	0.056
204/2	0.056
194	0.051
193	0.147
182	0.128
202/2	0.018
201/3/3	0.010
योग . .	1.643
ग्राम-नेवली	
156/4	0.032
157	0.007
158	0.071
155/1	0.015
174/1	0.038
155/2	0.015
155/3	0.015
171/1	0.038
155/4	0.015
147	0.026
148	0.045
128	0.051
132	0.064
133	0.029
146	0.088
126/1	0.045
126/3	0.083
126/4	0.064
129	0.051
170	0.064
137	0.038
155/5	0.015
175	0.029
269	0.083
271	0.026
270	0.070
274	0.010
366	0.082
278/1	0.045
278/2	0.015
281	0.015
283	0.064
359	0.019
397	0.108
400/1	0.090
360	0.182
398	0.065
399	0.135
365	0.110
367	0.032
374	0.222
375	0.136
381/1	0.075
381/2	0.016
382	0.110
396	0.207
272	0.026
292/1	0.074
292/2	0.074
351	0.048
352	0.096
341/1	0.030
344	0.010
345	0.200
415	0.160
416	0.096
418	0.144
417	0.064
421	0.025
340	0.176
437	0.120
441	0.176
455/1/1	0.050
455/1/2	0.050
455/1/3	0.100
योग . .	4.574

(1)	(2)
ग्राम-राजपुरा	
4/2	0.240
41	0.96
18	0.088
42	0.96
17	0.176
43	0.096
27	0.160
35	0.184
3.60	0.176
26	0.310
योग . .	1.622
ग्राम-लालपुरा	
8	0.480
13/1	0.030
13/2	0.050
14	0.110
16	0.384
योग . .	1.054
कुल रकबा . .	9.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नारायणपुरा तालाब की मुख्य नहर एवं मायनर के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र.-16371-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बोरदाखुर्द तालाब निर्माण शीर्ष कार्य)के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—जैतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.733 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.443
5	0.405
6/1	0.088
6/2	0.190
7	0.278
9	0.126
10	0.240
12	0.152
52	0.101
59	0.480
11/1	0.063
11/2	0.063
13/1	0.120
14/1	0.304
54/1	0.130
13/2	0.120
14/2	0.184
54/2	0.024
51	0.036
60/1	0.012
61	0.150
66	0.024
योग . .	3.733

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बोरदाखुर्द तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) ग्राम जैतपुरा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिय गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4, (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)				
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	पिपलियागोली	125/2	3.39	0.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	पिपलियागोली जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			127/1	2.00	0.19		
			103/2	0.70	0.12		
			103/1	2.34	0.25		
			104	4.76	0.48		
			105	2.79	0.29		
			106	5.65	0.03		
			60	2.34	0.51		
			53	1.83	0.35		
			55	2.10	0.10		
			7/9	5.00	0.88		
			7/10	6.92	0.88		
			5/1	7.20	0.52		
			5/2	2.00	0.15		
			3/1	10.00	0.73		
			3/2	5.00	0.30		
			3/3	2.65	0.14		
			2	43.37	2.40		
			कुल योग . .	110.04	8.46		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.